न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 48/2024

श्री मिश्री लाल मीणा पुत्र रघुनाथ, मु. पो. चारनेट, हाल मुकाम पारस मार्बल के पीछे, कोटा रोड, देवली जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 01.10.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 426—27 दिनाक 30.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक व लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

11.07.2024 की जन सुनवाई में दिए गए प्रार्थना पत्र की समस्या पर की गई कार्यवाही की छायाप्रति प्रमाणित (संलग्न प्रार्थना पत्र) के अनुसार

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को पत्र क्रमांक 1254 दिनांक 30.08.2024, पत्र क्रमांक 1364 दिनांक 18.09.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली ने पत्र क्रमांक 216 दिनांक 20.09.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक आरटीआई/2024/217 दिनांक 20.09.2024 से सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली से संबंधित बिन्दुओं के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली से संबंधित बिन्दुओं के प्रथम अपीलेट अधिकारी प्रधान, पंचायत समिति देवली है। अपीलार्थी प्रधान, पंचायत समिति देवली के समक्ष प्रथम अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)